न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
099/2021 (GCMS 2021/99)	12.10.2021	02.03.2022

उनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री फतेहलाल अग्रवाल ग्राम चरलिया ब्राह्मण तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ निवासी श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री फतेहलाल अग्रवाल पुराने चमड़े के कारखाने के पास, नीमच (मध्यप्रदेश)

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार सिहाग ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.07.2011 के गजट में भाग 2 (क) पर इनका नाम प्रकाशित हुआ है एवं आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 175 दिनांक 26.05.2021 के द्वारा इनका कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आंवटित किया गया है तथा सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिला

Web Copy - Not Official

इनके कार्य क्षेत्र में आता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 04.06.2021 को समय 4.00 पी.एम. पर श्री राजेश अग्रवाल पुत्र फतेहलाल अग्रवाल ग्राम चरलिया ब्राह्मण तह. निम्बाहेड़ा के गोदाम पर पहुँचा। मौके पर श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री फतेहलाल अग्रवाल निवासी पुराने चमड़े के कारखाने के पास, नीमच उपस्थित था। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में गोदाम का निरीक्षण किया। गोदाम में 160 प्लास्टिक के कट्टे रखे थे प्लास्टिक के कट्टों में खाद्य पदार्थ धनिया साबूत रखा था जिसका निरीक्षण करने एवं शक होने पर विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा तो विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना जाहिर किया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ धनिया साबूत हिला–मिलाकर 02 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 80/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये जो न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ धनिया साबूत 02 किलोग्राम को 04 नमूना बोतलों मे बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक नमूना बोतल को एयर टाईट बंद कर 04 नमूना भाग तैयार किये तथा चार लेबल तैयार कर जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक AM-1317 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री राजेश अग्रवाल ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फॉर्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में महेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी द्वारा खाद्य विश्लेषक, उदयपुर को जमा कराकर अलग–अलग

Web Copy - Not Official

रसीद प्राप्त की गई जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के डी. ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2021/2906 दिनांक 23.07.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक/एलएस 141/एक्ट 2020/141 दिनांक 18.06.2021 अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना सबस्टैण्डर्ड (Substandard) एवं Contain Extraneous matter होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के संबंधित समस्त दस्तावेज पत्रांक/एफएसएसए/2021/2906 दिनांक 23.07.2021 की पालना में अभिहीत अधिकारी को पेश किये। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2021/3212 दिनांक 13.08.2021 से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया हैं, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने सबस्टैण्डर्ड (Substandard) एवं Contain Extraneous matter धनिया साबूत का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) एवं 31 (i) का उल्लघंन किया हैं जो कि धारा 51, 54 एवं 63 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध हैं। अतः अभियुक्त को अधिकतम जुर्माना करने की कृपा करें ताकि अवमानक (Substandard) एवं Contain Extraneous matter खाद्य पदार्थ के निर्माण एवं विक्रय को रोका जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली हैं। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 महेश कुमार सिहाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 2 डॉ. रामकेश गुर्जर, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 3 महेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ तथा अपने परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली होकर रेकार्ड पर हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 02.03.2022 को अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब परिवाद पेश नहीं कर सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया जिस पर अप्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थी ने कथन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी

Web Copy - Not Official

द्वारा प्रस्तुत परिवाद में जो तथ्य अंकित किये हैं वो मनगढ़न्त होकर मिथ्या है। अप्रार्थी को द्वैषतावश प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। जो समस्त दस्तावेज पेश किये है उनकी प्रमाणिकता के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी के पूर्व में किसी भी जांच में खाद्य प्रदार्थ पूर्ण गुणवत्तायुक्त पाये गये हैं। अप्रार्थी के गोदाम से साबूत धनिये का जो नमूना लिया गया उसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थी की उपस्थिति में नहीं कराई गई है। सारी कार्यवाही फर्जी होकर खारिज योग्य है। अतः उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 व 2 से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 3 एवं 4 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ धनिया साबूत का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 4 से होती हैं, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर हैं, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 5 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 04.06.2021 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 5 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 04.06.2021 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ धनिया साबूत जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1317** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 35 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक महेन्द्र सिंह के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-1317** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 6 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 7 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पत्रवाहक महेन्द्र सिंह द्वारा उक्त नमूना मय

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

लिफाफे के दिनांक 07.06.2021 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(**ii**) एवं 2.4.1(10)(**iii**) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 8 का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 9 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2021/2906 दिनांक 23.07.2021 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 141/ACT 2020/141 Dated 18-06-2021** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई हैं, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 141/ACT 2020/141 Dated 18-06-2021** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार सिहाग द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 35 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 07.06.2021 से 18.06.2021 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **The sample of Dhania Whole (Loose) bearing code no. and serial no. AM-1317 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O., of District Chittorgarh Is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006. The sample contain extraneous matters under section 3(1)(i) of the Food Safety and Standards Act 2006. Contravention to Regulation 26(2)(ii)(v) of Food Safety & Standards Act 2006.** उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1317** धनिया साबूत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत अवमानक (sub-standard) एवं **3(1)(i)** के तहत **contain extraneous matters** स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/एफएसएसए/2021/2906 दिनांक 23.07.2021 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2021/3212 दिनांक 13.08.2021 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(**e**) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया हैं जो कि दस्तावेज क्रमांक

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

10 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। अतः यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक एवं **contain extraneous matters** स्तर का है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है।

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी/अप्रार्थी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री फतेहलाल अग्रवाल ग्राम चरलिया ब्राह्मण तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ निवासी पुराने चमड़े के कारखाने के पास, नीमच (मध्यप्रदेश) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

चूंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गोदाम के निरीक्षण के दौरान विक्रेता/मालिक के पास खाद्य अनुज्ञा पत्र भी नहीं होना पाया गया। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51, 54 एवं 63 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अतः अधिनियम की धारा 49 एवं 51, 54 व 63 के अनुसार उक्त खाद्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त श्री राजेश अग्रवाल पुत्र श्री फतेहलाल अग्रवाल ग्राम चरलिया ब्राह्मण तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ निवासी पुराने चमड़े के कारखाने के पास, नीमच (मध्यप्रदेश) को राशि रूपये 15000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़